संख्या-123/2016/369जेपीआर/22-3-16-800(292)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ मोनू वर्मा पुत्र श्री सरजू प्रसाद वर्मा, निवासी-116/249, आनन्द नगर, रावतपुर गांव, थाना-कल्यानपुर, जनपद-कानपुर नगर एवं वर्तमान पता-115/01, लेबर कालोनी, शास्त्रीनगर, थाना-काकादेव, जनपद-कानपुर नगर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ मोनू वर्मा पुत्र श्री सरजू प्रसाद वर्मा, निवासी-116/249, आनन्द नगर, रावतपुर गांव, थाना-कल्यानपुर, जनपद-कानपुर नगर एवं वर्तमान पता-115/01, लेबर कालोनी, शास्त्रीनगर, थाना-काकादेव, जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-76/2016/726जेएल/22-3-16-800(292)/2015, दिनांक 01-03-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-123/2016/369जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुन नगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in